

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 113421-713 जयपुर, दिनांक: 19-6-18

1. उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त। (अलवर हनुमानगढ़,
जैसलमेर कोटा, प्रतापगढ़, टोंक
जिले को छोड़कर शेष सभी जिले।)
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त। (सम्बन्धित जिलों के बाल
विकास परियोजना अधिकारियों
को छोड़कर शेष सभी।)

विषय:— दिनांक 20.06.2018 को मध्याह्न 2.00 से 3.00 बजे तक आयोजित
होने वाली विडियों कॉन्फ्रेंसिंग स्थगित करने के संबंध में।
संदर्भ:— निदेशालय का पत्रांक 112661-954 दिनांक 18.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की माननीय मंत्री महोदया
द्वारा दिनांक 20.06.2018 को मध्याह्न 2.00 से 3.00 बजे तक निदेशालय के विडियों कॉन्फ्रेंसिंग
सेन्टर, जयपुर से प्रस्तावित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

अति. निदेशक (आई.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 113714-728 जयपुर, दिनांक: 19-6-18
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ जयपुर।
4. समस्त संबंधित अधिकारीगण मुख्यालय।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।